

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

बी ३/१, राष्ट्रगढ़ल रोड़ी-बैंगले शहरीया, रिहायल लाईन्स फॉटोक, जयपुर।

प्रमाणक : एफ 11(125)एमबीसी / आरएण्डपी / सान्याअवि / 2012/

जयपुर दिनांक

22/02/18

156 ३३

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48) / विधि / 2 / 2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38 / 2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछडा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रेखारी देवासी 5. गडरिया (गाडरी), गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी / ए-२ / 2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1)कार्मिक / क-२ / 2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग में अति पिछडा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी.) महान्ति
अतिरिक्त मुख्य सचिव

27/02/18/21/2

क्रमांक एफ 11(125)एमबीसी / आरएण्डपी / सान्याअवि / 2012/ 156 ३४ - ७९० जयपुर दिनांक

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
 - 2) प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
 - 3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
 - 4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
 - 5) विशिष्ट सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
 - 6) समस्त अतिरिक्त / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
 - 7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
 - 8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
 - 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
 - 10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज
 - 11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज
 - 12) समस्त संभागीय आयुक्त
 - 13) समरत जिला कलक्टर
 - 14) समस्त जिला पुलिस अधिकारी
 - 15) सचिव समस्त आयोग / बोर्ड
 - 16) ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बैकसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबंधित को ई-मेल करने वाल
 - 17) समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास / उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 - 18) गार्ड फाईल।

119

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव